

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल


भोपाल, दिनांक 21/12/12

:: आदेश ::

क्र / 11651 / एनआरईजीएस-म.प्र./एनआर-2/2012 मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत श्री सुदामा लाल गुप्ता, जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी (प्रतिनियुक्ति) जिला पंचायत सीधी को प्रशासकीय आधार पर जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी के पद पर जिला पंचायत अनुपपुर में पदस्थ किया जाता है। पदस्थापना निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

पदस्थापना परिवर्तन की शर्तें :-

1. संबंधित अधिकारी के प्रशासकीय आधार पर स्थान परिवर्तन किये जा रहे हैं। शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता, इत्यादि की पात्रता होगी।
2. संबंधित को वर्तमान जिले से भारमुक्त होने पर तत्काल नये पदस्थापना जिला में उपस्थिति देना आवश्यक होगा। भारमुक्त करने से पूर्व संबंधित के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी वसूली शेष तो नहीं है, यह सुनिश्चित कर लिया जावे। साथ ही यदि कोई जांच प्रकरण लंबित है, तो उसे भारमुक्त करने के पूर्व मुख्यालय को अवगत कराया जावे।
3. नवीन जिलों में उपस्थित होने पर अधिकारियों के पदस्थापना संबंधी आदेश जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) के द्वारा जारी किये जावेंगे।
4. भारमुक्ति के पश्चात् वर्तमान जिले से संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत नरती नये पदस्थापना के जिले को भेजी जावे, जिसमें आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश इत्यादि का पूर्ण विवरण होगा।


(चन्द्रमौलि शुक्ला)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्र. / 11652/एनआर-2/एनआरईजीएस-म.प्र./2012

भोपाल दिनांक 13/12/12

पतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. निज सहायक अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. संभागायुक्त रीवा एवं शहडोल की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर (जिला कार्यक्रम समन्वयक) सीधी एवं अनुपपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत सीधी एवं अनुपपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्री सुदामा लाल गुप्ता, जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी, जिला पंचायत सीधी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संयुक्त आयुक्त (प्रशा०)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल